न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– कीर्ति राठौड़, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 24/2022 (बांसवाड़ा डिक्री)

तहसीलदार भूमिधारी घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)

.... अपीलान्ट

बनाम

1. रमणलाल पिता धन्नाजी, जाति गरो, निवासी सुरपुर, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)
2. पेमजी पिता कचरू, जाति चमार, निवासी सेनावासा, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)
3. मनजी पिता हलिया, जाति भील, निवासी सेनावासा, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)
4. राजू पिता हलिया, जाति भील, निवासी सेनावासा, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)
5. श्रीमती हीर पत्नी हलिया, जाति भील, निवासी सेनावासा, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)
6. गोविन्द पिता नानुराम, जाति भील, निवासी सेनावासा, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)
7. श्रीमती शान्ति पत्नी नानुराम, जाति भील, निवासी सेनावासा, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)
8. कैलाशचन्द्र पिता जीवाराम, जाति भील, निवासी सेनावासा, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा–223 राजस्थान
काश्तकारी अधि. 1955 विरूद्ध निर्णय
व डिक्री उपखण्ड अधिकारी, घाटोल
16.11.2022 प्रकरण संख्या 72/2017

–––/–––

उपस्थित :– 1– श्री श्री भूपेन्द्र जैन राजकीय अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री यशपाल गुप्ता अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2
3– श्री जयेन्द्र पुरोहित अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 8

–––::–––

निर्णय **दिनांक 28–10–2024**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट तहसीलदार घाटोल ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा सेनावासा, तहसील घाटोल में खसरा [illegible]46 रकबा 0.06 हैक्टर भूमि स्थित है, जो प्रतिवादीगण के नाम [illegible] खातेदारी में दर्ज हुई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.11.19 11:15:20 IST
Reason: SelfAttested

उक्त आराजी प्रतिवादीगण के पिता हलिया पिता हुका ने दिनांक 22.06.1997 को जरिये ईकरारनामा 9751/– रूपये में रमणलाल पिता धन्ना जाति गरो को विक्रय की। तत्पश्चात् रमणलाल ने दिनांक 21.05.2003 को जरिये ईकरारनामा पेमजी पिता कचरू जाति चमार को विक्रय की। पूर्व खातेदार हलिया भील अनुसूचित जनजाति का सदस्य द्वारा रमणलाल जो अनुसूचित जाति का सदस्य है को किया गया है, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 का उल्लंघन है। तत्पश्चात् रमणलाल द्वारा वर्ष 2003 में पेमजी जो जाति से चमार है, उसको किया गया विक्रय नियम विरूद्ध है। अतः विवादित आराजी बिलानाम सरकार दर्ज करने का आदेश फरमाया जावे।

प्रतिवादीगण की ओर से खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया, जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में कुल 8 तनकियां कायम की गयी तथा तनकीवार विवेचन करते हुए अपने निर्णय दिनांक 19–06–2015 से वादी तहसीलदार का वाद स्वीकार कर विवादित आराजी को बिलानाम सरकार दर्ज करने का आदेश दिया।

अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय से रूष्ट होकर प्रतिवादी संख्या 8 कैलाशचन्द्र द्वारा इस न्यायालय में अपील संख्या 24/2015 प्रस्तुत की गयी, जो इस न्यायालय द्वारा उभयपक्षों को सुनकर दिनांक 22–08–2017 को निर्णय पारित करते हुए प्रकरण में कायम शुदा तनकियात पर उभयपक्षों की साक्ष्य लेकर एवं सुनकर साक्ष्यों के आधार पर विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण रिमाण्ड किया गया।

न्यायालय हाजा के रिमाण्ड आदेश की पालना में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर किया जाकर दिनांक 16–11–2022 को यह निर्णय पारित किया कि ''वादी तहसीलदार की कार्यवाही को निरस्त किया जाकर ग्राम सेनावासा के खाता संख्या 1 के खसरा नंबर 2746 रकबा 0.06 हैक्टर किस्म नहरी द्वितीय जो न्यायालय आदेश से बिलानाम सिवायचक दर्ज होने से पूर्व प्रतिवादी 8 द्वारा बजरिये पंजीकृत दस्तावेज से खरीदा गया है, का खातेदार घोषित किया जाता है।'' जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादी तहसीलदार द्वारा यह अपील दिनांक 28–11–2022 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोन्डेन्ट्स को जरिये सम्मन सूचना दी गई, जिस पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 की ओर अधिवक्ता श्री यशपाल गुप्ता

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.11.19 11:15:20 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 8 की ओर से अधिवक्ता श्री जयेन्द्र पुरोहित उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध इकरारनामा दिनांक 22–06–1997 अनुसार आराजी नंबर 1077/2 का 9751/– रूपये में बेचान हलिया द्वारा रमणलाल प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में किया जाना स्पष्ट है, किन्तु उक्त विक्रय इकरारनामें पर क्रेता रमणलाल के न तो हस्ताक्षर है, न ही अंगुष्ठ निशानी है, सिर्फ विक्रेता हलिया व गवाहों के हस्ताक्षर हैं। मिलान क्षेत्रफल अनुसार आराजी नंबर 1077/2 के हाल आराजी नंबर 2746 रकबा 0.06 हैक्टर बनना प्रकट होता है। हालांकि रमणलाल द्वारा पेमजी प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में जो बेचान ईकरारनामा दिनांक 21–05–2003 को किया गया है, उसमें रमणलाल व पेमजी के साथ–साथ गवाहों के भी हस्ताक्षर हैं तथा उक्त ईकारारनामे में रमणलाल ने अंकित किया है कि हलिया से मकान बनाने हेतु उसने जो जमीन खरीदी थी वह पेमजी को 25,551/– रूपये में विक्रय कर रहा हूँ, किन्तु बयानों के परीक्षण में उक्त हस्ताक्षर तथा पेमजी को विक्रय करने से इंकार किया है तथा यह भी कहा कि रमेश ने मेरे नाम से दावा किया जिसे मैंने विड्रो कर लिया। मैंने दावे पर दस्तखत नहीं किये रमेश ने कोरे कागज पर दस्तखत किये।

चूंकि उक्त दोनों विक्रय पत्र अनरजिस्टर्ड थे इसलिए क्रेतागणों का नाम जमाबन्दी में दर्ज नहीं हुआ एवं भूमि हलिया के नाम ही दर्ज रही तथा हलिया की मृत्यु पश्चात् विरासत से उसके वारिसान मनजी, राजु पिता हलिया तथा हीर बेवा हलिया के नाम दर्ज हो गयी। तत्पश्चात् हलिया के वारिसान द्वारा दिनांक 03–03–2014 को उक्त आराजी का रजिस्टर्ड बेचान प्रतिवादी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 8 कैलाशचन्द्र के पक्ष में किया जाना प्रस्तुत विक्रय पत्र से स्पष्ट है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने पूर्व निर्णय दिनांक 19–06–2015 से उक्त आराजी बिलानाम सरकार दर्ज करने के आदेश दिये थे, किन्तु उक्त निर्णय न्यायालय हाजा द्वारा अपास्त कर प्रकरण पुनः रिमाण्ड किये जाने पर दिनांक 16–11–2022 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करते हुए न्यायालय के आदेश से बिलानाम सिवायचक भूमि दर्ज होने से पूर्व [illegible]जी क्रेता कैलाशचन्द्र द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.11.19 11:15:20 IST
Reason: SelfAttested

रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय किये जाने को आधार मानते हुए कैलाशचन्द्र को खातेदार घोषित कर दिया।

प्रकरण में हम यह भी पाते हैं कि हलिया भील जो जाति से अनुसूचित जनजाति का सदस्य है उसके द्वारा विक्रय ईकरार प्रतिवादी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 रमणलाल जो अनुसूचित जाति का सदस्य है, के पक्ष में किये जाने से उक्त विक्रय ईकरार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 (ख) के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने पूर्व निर्णय में तो उक्त विक्रय ईकरार को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 (ख) का उल्लंघन मानते हुए विवादित आराजी नंबर 2746 रकबा 0.06 हैक्टर को कब्जे राज लिये जाने का आदेश दिया है जो विधि सम्मत है, किन्तु न्यायालय हाजा द्वारा प्रकरण रिमाण्ड किये जाने पर अपीलाधीन आदेश द्वारा भूमि बिलानाम दर्ज होने से पूर्व कैलाशचन्द्र द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय किये जाने के आधार पर उक्त भूमि का खातेदार प्रतिवादी संख्या 8 कैलाशचन्द्र को घोषित कर दिया है, जो विधि सम्मत नहीं है, क्योंकि भले ही कैलाशचन्द्र ने उक्त भूमि बिलानाम सरकार दर्ज होने से पूर्व वर्ष 2014 में ही क्रय कर ली हो, किन्तु जब वर्ष 1997 में उक्त भूमि बाबत् किया गया विक्रय ईकरारनामा ही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 (ख) के विपरीत है तो फिर उसके बाद उसके द्वारा वर्ष 2014 में किये गये विक्रय पत्र के आधार पर उसके हक में किसी प्रकार के हक अधिकारों का सृजन नहीं हो सकता है। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 16–11–2022 अपास्त जाता है तथा विवादित आराजी नंबर 2746 रकबा 0.06 हैक्टर को बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 28–10–2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.11.19 11:15:20 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.........मुकाम........उदयपुर........
व इजलास ....कीर्ति राठौड़, आर.ए.एस. ....

तहसीलदार भूमिधारी, घाटोल जिला बांसवाड़ा   बनाम   रमणलाल पिता धन्ना, जाति गरो, निवासी सुरपुर, तहसील व जिला बांसवाड़ा व अन्य

अपील नं.......24 / 2022...........व नाराजगी डिगरी अदालत .....उपखण्ड अधिकारी...... ....घाटोल... मुकाम................मुवर्खे.............16............माह..........11..........2022................

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....28....माह......10.....सन् 2024 रूबरू..........पक्षकारान व हाजरी.....श्री भूपेन्द्र जैन...मिनजानिब अपीलान्ट व...श्री यशपाल गुप्ता/जयेन्द्र पुरोहित

............रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि.... अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 16–11–2022 अपास्त जाता है तथा विवादित आराजी नंबर 2746 रकबा 0.06 हैक्टर को बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....X.......)....रूपये...... X........ अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का...................... X ....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.......28.......माह.......10..........2024........ को जारी किया गया।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील			1. स्टाम्प वकालत नामा...		
2. स्टाम्प वकालत नामा			2. स्टाम्प अर्जी		
3. इजराय हुक्मनामा ..			3. इजराय हुक्मनामा		
4. वकील फीस बाबत			4. मेहनताना वकील..........		
मीजान			मीजान ...		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.11.19 11:15:20 IST
Reason: SelfAttested